

15988/0



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 294105



1. भूमि का प्रकार - कृषि भूमि
 2. मोहल्ला/ग्राम...मौजा नगला सदोला तहसील व जिला मथुरा
 3. ज़ापन की इकाई (हेक्टेयर) रकबा 1.445 हेक्टेयर
 4. सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि
 5. पैलों का मूल्यांकन नहीं
 6. डोरिंग/कुआ/अन्य..नहीं
 7. प्रतिफल की धनराशि 2856000/-रुपये
 8. स्टाम्प हेतु मालियत 2856156/-रुपये
 9. स्टाम्प देय 200000/-रुपये
 10. सरकारी दर भूमि सड़क के सहारे होने की वजह से 800000/-रुपये
- प्रतिएकड़ जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं० 63 क्रमांक 47 पर दर्ज है।
कार्यक्षेत्र उ०नि० मथुरा -प्रथम/द्वितीय

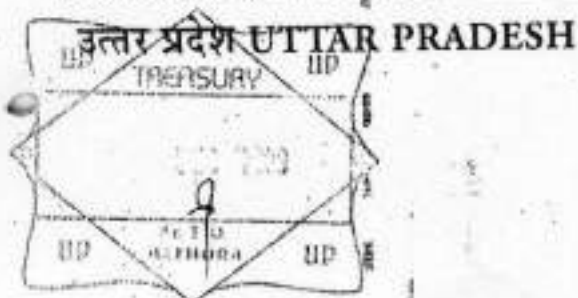
Signature



Signature



6



A 294106

(2)

विक्रेता की संख्या (1)

विक्रेता का विवरण

राजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री महेशचन्द अग्रवाल निवासी कृष्णानगर मथुरा

क्रेता की संख्या (.)

क्रेता का विवरण

एस0जे0पी0 रेजीडेन्सी कन्सॉटियम लिमिटेड 111, श्रीजमुनाधाम मथुरा द्वारा
डायरेक्टर सुदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री जमुना प्रसाद जी निवासी 111,
श्री जमुनाधाम कालोनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा

[Signature]

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 294107



(3)

मैं कि राजीव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री महेशचन्द अग्रवाल निवासी कृष्णानगर मथुरा का हूँ।

जो कि आराजी सक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर-76 व खसरा नंबर-126 रकबा 1.445 हैक्टेयर लगानी रुबरु कागजात बाकै मौजा नगला सदौला तहसील व जिला मथुरा गिल्कियत मेरी है जिसको मैंने अन्य आराजी सहित बजरिबै बैनामा दिनांक-15.3.2004 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर-1 जिल्द 2609 के सफा 259/274 नंबर-2099 पर हुआ, राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल आदि से खरीदी और सरकारी कागजात माल में मेरा नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। जिस पर मेरा कब्जा है और जिसके विषय में मुझे हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है जिसमें सिवाय मेरे अन्य किसी का कोई हक

[Signature]

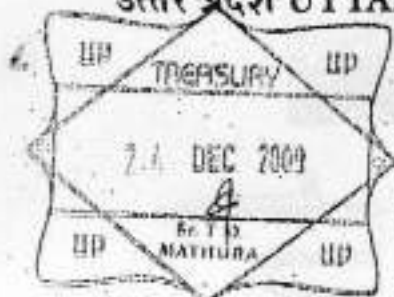
[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 294108



(4)

हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो मेरे इस
बैनामा करने में कोई रुकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर
किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या
गार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र
पाक स्लैफ मिलिक्यत मेरी ही है कृषी से कोई खास आय नहीं हो पाती है
सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में मेरा सरासर लाभ
है कीमती के प्राप्त रुपये को कहीं भी लगा देने से मुझको एक अच्छी व
निश्चित आय हो जावेगी अतः उक्त आराजी को समस्त अधिकारों सहित जो

[Signature]


[Signature]




A 294109

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(5)

मुझको प्राप्त हैं या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 2856000/- अठ्ठाईस लाख छप्पन हजार रुपये जिसके आधे 1428000/- चौदह लाख अठ्ठाईस हजार रूपया होते हैं। बदस्त एस0जे0पी0 रेजीडेन्सी कन्सोर्टियम लिमिटेड 111, श्रीजमुनाधाम मथुरा द्वारा डायरेक्टर सुदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री जमुना प्रसाद जी निवासी 111, श्री जमुनाधाम कालोनी गोवर्धन घौराहा, मथुरा के हक में बँ कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का कुल रूपया खरीदार से ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स के तीन किता चैक प्रथम नंबर-599065 तादादी 1000000/- रूपये द्वितीय नंबर-599066 तादादी

[Signature]

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 294110



(6)

1000000/- रुपये तृतीय नंबर-589067 तादादी 858000/- रुपये तीनों
चैक दिनांक-24.12.2009 द्वारा पाकर बेची गई उक्त आराजी पर खरीदार
का बाकूई कच्चा व कच्चा मालिकाना करा दिया । खरीदार बेची गई
आराजी का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना
प्रयोग में लावे और स्वयं जो चाहे सो करें अब मुझको व मेरे वारिसानों को
बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं
रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा । यदि बेची गई उक्त आराजी के सम्बन्ध
में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त
आराजी का थोड़ा या कुल कच्चा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को
कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त
जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत
व सूद व हर्जा खरीदार सब मेरे जिम्मे है और खरीदार वह सब मुझसे व मेरे
वारिसानों व मेरी चल अचल सम्पत्ति से हस्त जाब्ता मय खर्चों के बसूल करलें
। आराजी एक फसला है बिक्रित कृषि भूमि पर कृषि अनवरत रूप से चल
रहा है वर्तमान में भी खेती हो रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं

[Handwritten signature]

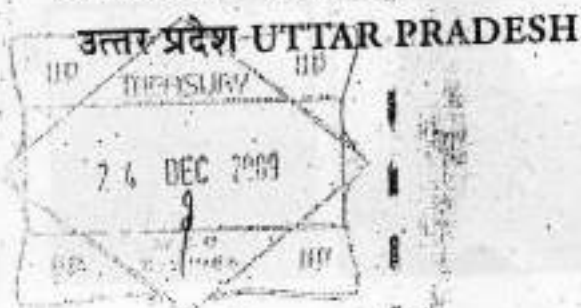


[Handwritten signature]





A 294111

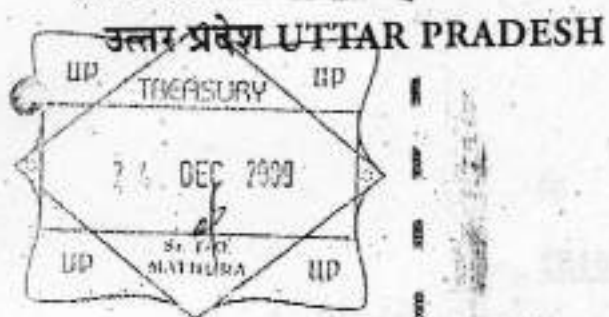


(7)

खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। विक्रेता अपनी उक्त आराजी के बेचने का सौदा अन्य किसी भी व्यक्ति से तय नहीं किया है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार झपट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है। बेचे जाने वाली आराजी को संलग्न नक्शे में स्पष्ट रूप से रंग लाल से दर्शाया गया है। तसदीकी मुख्तारनामा आम दि०-5.5.2008 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय राब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर-8 खण्ड 2 के सफा 15/29 पर नंबर-10 पर दिनांक-5.5.2008 हुई है रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठक गली, राजाधिराज बाजार, मथुरा को उक्त सुदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० श्री जमुना प्रसाद जी निवासी 82, जमुनाधाम गोवर्धन रोड, मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधान कुराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं। खर्चा बैनामा स्टाम्प फीस आदि विक्रेता ने अदा किया है।

Signature





A 294112

(B)

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

दिनांक-24.12.2009

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया मथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा ।

[Signature]
[Red circular stamp]

[Signature]

[Red circular stamp]

गवाह रजत कुमार
रजत कुमार
गोपाल नारायण

रजत कुमार
Richo Agrawal
67, Shri Janki Dham
Mathura